कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बून्दी

430
3/12/17

कार्यालय–आदेश

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1/12102/पु0अ0 ग्रेड–III/सी0भ0/2016 दिनांक 27.11.2017 के द्वारा **राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपर द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष** ग्रेड–III के पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एसबी. सिविल याचिका संख्या 8555/17, 11523/17, 10421/17, एवं विभिन्न याचिकाआके अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रखते हुये अंकित सूची में विवरणांकित आशार्थियों को **पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुररीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल–10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षणधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन के रूप में नियत मानदेय 23700/–रू प्रतिमाह /विधमान वेतनमान पर राज्य सरकार के पत्र कमांकः–प,17(15)शिक्षा–2/2014 जयपुर दिनांक 4.9.17 के अनुसार दिनांक 3.12.17 को परामर्श शिविर में प्राप्त विकल्प पत्र में वर्णित स्थान पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । संबंधित चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पदस्थापन स्थान पर दिनांक 23.12.2017 तक अनिवार्यतः कार्यग्रहण करेगे । उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा ।

कस	मेरिट न.	रोल न.	नाम अभ्यार्थी	पिता का नाम	जन्म तिथि	आवेदन पत्र में अंकित स्थायी निवास का पता	वर्ग	विशैष वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान एवं जिला
1	19	101056	ASHOK KUMAR RATHOR	TIKAM CHANDRA RATHOR	03-06-79	पुराने थाने के पास किशनगंज जिला–बांरा	OBC	-	GENM	राबाउमावि विकासनगर बून्दी जिला–बून्दी
2	111	100556	CHANRA SHEKHAR MALAV	RAM RATAN MALAV	14-02-83	मकान न0 92 पटेल जी का मोहल्ला गांव–रूपपुरा तह. अन्ता जिला–बांरा	GEN	-	GENM	राउमावि डाबी जिला–बून्दी

संबंधित संस्थाप्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेगें :–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नही करवाया जायेगा । पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिको हेतु यह आवश्यक नही होगा ।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक–एफ–7(1) डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होनें संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10 रू0 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे ।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है , अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य की बाहर की संस्थाओं से शेक्षिक /प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है , उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जाती है । अतः संबंधित अभ्यर्थी से कार्यग्रहण करवाने से पूर्व 10 रू0 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेगे कि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नही पाई गई तो उन्है प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।
4. अभ्यार्थी द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक ,आयु , जाति आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेगें , कोई भिन्नता / संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुये अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायेंगे ।
5. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाणपत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये । महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के

Appointment Order 7-2013 TO Kamal nayan 297

Scanned by CamScanner

आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाणपत्र मान्य नही है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाणपत्र जोकि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा । ऐसा नही करने पर कार्यग्रहण नही करवाये। आवेदनपत्र इस कार्यालय को वापिस लोटा देवे । उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाणपत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर सुनिश्चित करे । यदि कोई अभ्यर्थी कीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये

6. संबंधित संस्थाप्रधान कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदनपत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त करे जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है ।
7. चयनित अभ्यर्थियो की नियुक्ति प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओ के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी ।
8. चयनित आशार्थियो के कार्यग्रहण से पूर्व संस्थाप्रधान उनकी पात्रता,आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजो की जांच किया जाना सुनिश्चित करे ।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रूटिपूर्ण , जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा ।
10. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांकः– प.7(3)कार्मिक/क–2/06पार्ट दिनांक 4.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने सम्बन्धी बचन बंधता (Undeertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

(तेज कॅवर)
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) बून्दी

कमांक–जिशिअ/मा/बू/संस्था–1/नियु.पु0अ ग्रेड–III/2016/430 दिनांक 3.12.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव,प्रथम शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान,जयपुर ।
2. शासन उप सचिव,शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान,जयपुर ।
3. शासन उप सचिव कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान जयपुर ।
4. निदेशक माध्यमिक शिक्षा ,राजस्थान बीकानेर ।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपर ।
6. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–विधि जयपुर/जोधपुर ।
8. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान जयपुर ।
9. संबंधित संस्थाप्रधान
10. संबंधित आशार्थी (पंजिकृत डाक द्वारा)
11. रक्षित पत्रावली

(तेज कॅवर)
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) बून्दी

Scanned by CamScanner